सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

नवम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि $\frac{\text{22 आषाढ़, 1945 (श०)}}{\text{13 जुलाई, 2023 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 129

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	..	25
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	..	55
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	..	24
(4)	कृषि विभाग	..	..	..	10
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	..	..	..	08
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	..	03
(7)	सहकारिता विभाग	..	..	..	04
				कुल योग --	129

कार्रवाई करना

*294. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत क्षेत्र में साफ-सफाई का कार्य एन0जी0ओ0 के माध्यम से कराई जाती है, जिसके पास स्वंय की गाड़ियाँ होती है, अर्थात नगर पंचायत को गाड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत नगर पंचायत, काको के कार्यपालक पदाधिकारी नाली गली निर्माण की स्वीकृत राशि को नगर पंचायत में गाड़ी खरीदने में खर्च कर दिया है, जिसमें अनियमितता बरती गई है तथा इसकी सूचना जिलास्तरीय बैठक में जन-प्रतिनिधियों को नहीं दी गई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराने तथा कार्यपालक पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*295. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखंड के ग्राम पंचायत, दीनापट्टी के वार्ड नम्बर 2, 3, 4 एवं 5 में अबतक नल-जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित वार्डों में लोगों को कबतक नल-जल योजना का लाभ देकर पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखंड के ग्राम पंचायत, दीनापट्टी के वार्ड नम्बर 2 में कुल 242 घर है जिसमें से 142 घरों में शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । शेष 100 घर मूल योजना से अधिक दूरी पर अवस्थित होने के कारण छूटे हुये टोलों के तहत योजना तैयार कर ली गई है । योजना स्वीकृत होने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण कराकर जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी ।

वार्ड नम्बर 3 में कुल 138 घर है जिसमें से 132 घरों में जलापूर्ति की जा रही है ।

वार्ड नम्बर 4 में कुल 232 घर है, जिसमें से 138 घरों में शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । शेष बचे 94 घर मूल योजना से अधिक दूरी पर अवस्थित होने के कारण छूटे हुये टोलों के तहत योजना तैयार कर ली गई है । योजना स्वीकृत होने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी ।

वार्ड नम्बर 5 में कुल 142 घर है जिसमें से 128 घरों में जलापूर्ति की जा रही है । सड़क निर्माण के क्रम में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण 14 घरों में जलापूर्ति बाधित है । जिसे एक सप्ताह के अन्दर मरम्मती कराकर जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी ।

योजना को चालू कराना

*296. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर परिषद्, शेरघाटी के नवनिर्मित वार्डों 06, 07, 08, 16, 18 एवं 24 में जलमीनार एवं पाइप लाइन बिछाये जाने के बावजूद अभीतक नल-जल को चालू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार पेयजल मुहैया कराने हेतु उक्त वार्डों में कबतक नल-जल योजना को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल की आपूर्ति कराना

*297. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा द्वारा दरभंगा जिलान्तगत बिरौल प्रखंड के जगन्नाथपुर, वार्ड नम्बर 12 में आर्सेनिक मुक्त शुद्ध पेयजल हेतु मिनी पाइप जलापूर्ति योजना अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में पानी टंकी लगाया गया था, जिससे पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड में पानी की आपूर्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल प्रखंड के जगन्नाथपुर के वार्ड संख्या 12 में आर्सेनिक मुक्त जलापूर्ति हेतु वर्ष 2012-13 में मिनी जलापूर्ति का निर्माण कराया गया था । उक्त योजना में प्रावधानित कुल 21 अदद् स्टैंड पोस्ट निर्मित कर मार्च, 2013 में जलापूर्ति प्रारंभ की गई थी । उक्त योजना की मरम्मती एवं सम्पोषण की अवधि मार्च, 2018 में समाप्त हो गई । वर्तमान में योजना बंद है । इस पंचायत अन्तर्गत 'हर घर नल का जल' योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा कराया गया है । योजना को चालू करने के लिये प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । प्राक्कलन की स्वीकृति के उपरान्त तीन माह में योजना से जलापूर्ति प्रारंभ करा दी जायेगी ।

जलापूर्ति कराना

*298. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मोतिहारी जिला के पिपराकोठी-प्रखंड के सुर्यपुर, झारपड़ा, पँडितपुर, मोतिहारी प्रखंड के बरदाहा मधुबनीधार गाँव में पाइप लिकेज एवं बिजली की आपूर्ति बाधित रहने के कारण जलापूर्ति बाधित रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँवों में उक्त समस्या को दूर कर निर्बाध रूप से जलापूर्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*299. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत, रानीगंज में अबतक सम्राट अशोक भवन का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे नगर पंचायत के लोगों को शादी-विवाह तथा अन्य समारोह के आयोजन के लिये पर्याप्त भूमि और भवन के अभाव में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि भवन निर्माण के लिये वार्ड नम्बर 17 में ठाकुरबाड़ी की 1 एकड़ 32 डिसमिल जमीन खाली पड़ी है, यदि हाँ, तो सरकार ठाकुरबाड़ी की खाली पड़ी भू-खंड पर सम्राट अशोक भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*300. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरारू प्रखंड अन्तर्गत गुरारू अंचल का दर्जा वर्ष 1994 में ही मिला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अंचल कार्यालय, गुरारू चीनी मिल की जमीन पर चल रहा है तथा चीनी मिल की जमीन को वर्ष 2021-22 में बियाडा ने अपनी अधीन ले लिया है, 29 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभीतक उक्त अंचल का अपने कार्यालय के लिये भवन नहीं उपलब्ध रहने के कारण पदाधिकारियों/कर्मियों एवं जनता को कार्य कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुरारू अंचल कार्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

किरासन तेल दिलवाना

*301. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य की गरीब जनता को पूर्व में ग्राम पंचायत के डीलर से किरासन तेल (मिट्टी तेल) की आपूर्ति की जाती थी, जिससे उनके घरों में उजाला तथा छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों का भी कार्य किया जाता था, परन्तु वर्ष 2015 से किरासन तेल की आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के गरीब परिवारों को किरासन तेल की आपूर्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*302. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा अंचल में अंचलाधिकारी का पद दो 2 वर्ष से खाली है तथा RO सोनबरसा अभी प्रभार में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सोनबरसा में अंचलाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा निर्गत कराना

*303. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड-चरपोखरी के ग्राम-इटौर एवं मानसागर में अनावाद बिहार सरकार की जमीन पर 100 से ज्यादा भूमिहीन, गरीब, दलित, पिछड़े समाज के लोग विगत 50 सालों से बसे हुए हैं, लेकिन अभीतक बसे भूमिहीनों को पर्चा निर्गत नहीं किया है, जबकि अंचलाधिकारी चरपोखरी द्वारा बसे भूमिहीनों को पर्चा देने के लिए उप-समाहर्ता, भोजपुर को पत्र भेजा गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ग्राम-इटौर एवं मानसागर में 50 साल से ज्यादा समय से बसे गरीब, दलित, पिछड़े समाज के भूमिहीनों को कबतक पर्चा निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य कराना

*304. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत कुल 51 वार्डों में से वार्ड संख्या 11, 17, 18 से 23, 25 से 29, 31 एवं 38 सहित कुल 15 वार्डों में ही स्मार्ट सिटी योजना के तहत कार्य किये जा रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष वार्डों को भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित कर कार्य करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जल आपूर्ति कराना

*305. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नं0 15 सहित सभी वार्डों में नल-जल योजना का कार्य आधा अधूरा किया गया एवं बिछाये गये पाइप लाइन जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित सभी वार्डों में नल-जल योजना का कार्य पूर्ण कराने एवं क्षतिग्रस्त पाइप की मरम्मती कराकर कबतक जल आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं; तो क्यों ?

अनियमितता की जाँच कराना

*306. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर अंचल में दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन के निष्पादन में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत मिल रही है जिसके कारण वहां के किसानों को दाखिल खारिज में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन देना

*307. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 15 मार्च, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''भूमिहीन परिवार के नए बालिग को भी जमीन'' के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमिहीन परिवारों में नए बालिग सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा अवास के लिए जमीन देने का प्रावधान किया गया है तथा वर्तमान में राज्य में लगभग 1,27,800 भूमिहीन बालिगों को चिन्हित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बालिग भूमिहीनों को जमीन देने में विभाग पूर्णतः असफल है, जिस कारण उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के बालिग भूमिहीनों को कबतक जमीन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*308. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत नगर पंचायत बहादुरगंज, अधिनस्थ झाँझी रानी चौक से मध्य विद्यालय बहादुरगंज, उच्च विद्यालय थाना होते हुए प्रखण्ड मुख्यालय तक जाने वाली सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिससे आमजनों को आवागमन में कठिनाई होती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पानी का व्यवस्था कराना

*309. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के हरिओ पंचायत के ग्राम-आहूति के वार्ड नं0-01 में नल-जल योजना के तहत बोरिंग और पानी टंकी के अभाव में ग्रामीणों को पीने के लिए सप्लाई का पानी नहीं मिल रहा है, यदि सरकार उक्त गाँव के वार्ड नं0-1 में ग्रामीणों को पीने के लिए कबतक जलापूर्ति की व्यवस्था कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। भागलपुर जिलान्तर्गत प्रखंड-बिहपुर, पंचायत-हरिओ के वार्ड सं0-01, ग्राम-आहूति में विद्युत् चालित वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना निर्मित है एवं लगभग 85 घरों को गृह जल संयोजन से आच्छादित करते हुए वर्तमान में जलापूर्ति की जा रही है।

नाला का निर्माण

*310. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं०10 में अस्पताल से लेकर मजरहत सीमा तक नाली एवं पक्की सड़क नहीं होने के कारण आमलोगों को आवागमन में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर पक्की सड़क-सह-नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टेम्पू स्टैण्ड का निर्माण

*311. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के बारसोई में एक भी बस या ऑटो स्टैंड नहीं रहने के कारण आमलोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर बस तथा टेम्पू स्टैण्ड का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि का पर्चा वितरण

*312. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पं० चम्पारण जिला अन्तर्गत मैनाटाड प्रखंड के मैनाटाड, बेलवा टोला, सिंहपुर आदि गाँवों में भू-हदबंदी वाद संख्या 279/1976-77 में न्यायालय अपर समाहर्ता, पं० चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 26 अप्रील, 2013 को पारित अंतिम आदेश जिसमें भू-धारी श्री विनोद प्रसाद की 44.48 एकड़ भूमि अधिशेष सरकारी अभिघोषित हुयी एवं संबंधित प्रकाशित जिला गजट असाधारण अंक संख्या 11, दिनांक 13 मई, 2013 के तहत भू-धारी की अधिशेष यानी सरकारी भूमि घोषित कुल 44.48 एकड़ भूमि में से 23.81 एकड़ भूमि उक्त गांवों में अवस्थित है, जिसपर अब सीलिंग वाद से संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार मैनाटाड, सिंहपुर में अवस्थित उक्त अधिशेष भूमि का पर्चा वितरण वहां के सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों के बीच करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाले का निर्माण कराना

*313. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखण्ड इटाढ़ी के ग्राम-इटाही में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से मेन रोड़ होते हुये आदर्श मध्य विद्यालय तक की सड़क पर हमेशा जल-जमाव रहता है, जिससे आम जनता को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान से जल निकासी कराते हुये नाले का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्षतिपूर्ति देना

*314. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 5, 6, 7, 17, 18, 19, 44, 45 का अधिकांश भाग कृषि योग्य भूमि है, जहां प्रत्येक वर्ष गंगा नदी में बाढ़ आने से किसानों की फसल डूब जाती है, जिससे किसानों को नुकसान होता है, साथ ही वर्णित वार्डों की जमीन बेगूसराय नगर निगम का हिस्सा होने के कारण यहां के किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का अनुदान भी नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के किसानों को कबतक फसल क्षतिपूर्ति का अनुदान देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीज उपलब्ध कराना

*315. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में जलवायु परिवर्तन के कारण मक्के का फसल अच्छा होने के बावजूद भी उसमें दाना नहीं आ पाता है, जिसके चलते मक्के का फसल लगाने वाले राज्य के कृषकों को भारी आर्थिक क्षति होती है और वे कर्ज के बोझ में दब जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार अनुसंधान कराकर राज्य में जलवायु के अनुरूप मक्के का बीज यहां के किसानों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*316. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत उत्तरी करीमुल्लापुर पंचायत में वार्ड संख्या 2, 3, 5 और 8 में पानी टंकी से कनेक्शन जोड़ा नहीं गया है, जिससे उक्त वार्ड के लोग जलापूर्ति से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों के लोगों को जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*317. श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधुबनी अन्तर्गत बिस्फी अंचल के भैरवा पंचायत के भैरवा मंदिर पोखरा सरकारी भिण्डा की जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पोखर भिण्डा की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिये कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मछली हाट के भवन का निर्माण कराना

*318. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने हेतु 'मुख्यमंत्री मत्स्य बाजार निर्माण योजना' के तहत मछली हाट के भवन का निर्माण किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि झंझारपुर बाजार समिति की पर्याप्त भूमि में इस योजना के तहत मछली हाट के भवन का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झंझारपुर बाजार समिति परिसर में 'मछली हाट' के भवन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*319. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी अंचल कार्यालय का भवन जर्जर होने के कारण अभिलेखों के विनष्ट होने का खतरा होने के साथ-साथ कर्मियों के दुर्घटना के शिकार होने का खतरा बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार जर्जर भवन को तोड़कर नये भवनों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*320. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड अन्तर्गत पंचायत मुख्यालय शाहो बिगहा में पंचायत सरकार एवं स्वास्थ्य उप-केन्द्र का भवन निर्माण एक वर्ष से भी अधिक समय से थाना नं० 635, खाता नं० 393, 394, प्लाट नं० 898, 899 पर प्रस्तावित है जिसपर एक व्यक्ति के द्वारा वक्फ बोर्ड का जमीन होने का दावा करते हुये अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया है, जिसके कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जबकि आवेदनकर्ता या वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन के मालिकाना हक के संबंध में इसकी जांच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

*321. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अभियान बसेरा के तहत गरीब भूमिहीन लोगों को 5-5 डी० जमीन निःशुल्क दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत अंलच पुरैनी के बालाटोला महादलित टोला, बधना महादलित टोला एवं ग्राम पंचायत कुरसंडी के कुरसंडी महादलित टोला में गरीब भूमिहीन परिवार आवसित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर आवासित भूमिहीन परिवारों को अभियान बसेरा के तहत 5-5 डी० जमीन कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*322. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड बोखड़ा के ग्राम-बनौल में भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण हैण्ड पम्प (चापाकल) का पानी सुखने एवं नल-जल का मीनार आंधी में क्षतिग्रस्त होने से पानी पीने का संकट लोगों के बीच खड़ा हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम भू-जल स्तर के अनुरूप चापाकल गाड़ने तथा क्षतिग्रस्त मीनार का मरम्मतीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*323. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव नगर के वार्ड संख्या 15 गंगा गली नंबर 5 सुरेंद्र प्रसाद सिंह के मकान से संतोष कुमार के मकान तक 250 मीटर की सड़क कच्ची एवं नाला नहीं रहने के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार नाला सहित सड़क का कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*324. श्री महबुब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के अंचल पदाधिकारी ने भारत सरकार की भूमि मौजा रहुनाथपुर, थाना 671, खाता नं० 523, खेसरा नं० 337, 338, 339, 340, 336, 335, 334 333, 317, 313, 330, 314, 315, 316 के क्रमशः रकबा 2.10 एकड़ 1.10,0.71, 0.62, 1.36, 0.60, 0.48, 0.19, 1.00, 1.80, 0.06, 0.10, 0.34, 1.79 एकड़ कुल तेरह एकड़ 59 डी० 999 वर्ग कड़ी जमीन जिसकी कीमत सौ करोड़ से भी ज्यादा है, का भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (एल०पी०सी०) अवैध रूप से निर्गत कर दिया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त वर्णित अंचल पदाधिकारी के कार्यकलापों की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण कराना

*325. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखंड के बभनगामा पंचायत में अवस्थित पशु चिकित्सालय का चहारदीवारी नहीं है, जिसके कारण पशुओं का इलाज करने में पशु चिकित्सक को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु अस्पताल का चहारदीवारी निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*326. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज नगर पंचायत के मुख्य बाजार में स्थित बस स्टैंड को कृषि विभाग की जमीन के एक छोटे से हिस्से पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव तैयार कर पटना समाहरणालय के जिला राजस्व शाखा द्वारा पत्रांक 4291, दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के मध्यम से कृषि विभाग को अनापत्ति हेतु भेजा गया है, जिसपर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है जिससे पालीगंज की आम जनता को भीषण जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुये बस स्टैंड स्थानांतरित करने हेतु कृषि विभाग की जमीन पर अनापत्ति पटना समाहरणालय को कबतक उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का कार्यान्वयन कराना

*327. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर नगर परिषद् में हर घर नल का जल योजना का डिजाइन (अभिकल्पना) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया है, जिससे वर्ष 2023 में आबादी एवं घरों की संख्या बढ़ने के कारण वर्तमान अभिकल्पना (डिजाइन) से जमालपुर नगर परिषद् के वार्ड नंबर 35 एवं 36 में जलापूर्ति नहीं हो सकेगी, यदि हाँ, तो सरकार वर्ष 2023 की आबादी एवं घरों की संख्या के आधार पर जमालपुर प्रखंड के इन दोनों वार्डों में हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति कराना

*328. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड बैसा में 58 एवं प्रखंड अमौर में 82 ग्रामीण टोलों में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिन टोलों में अबतक पानी नहीं पहुँचा है, उन सभी टोलों का डी०पी०आर० स्थानीय अभियंताओं द्वारा मुख्यालय भेजा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में सर्वेक्षण कराकर शुद्ध पेयजल से वंचित टोलों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड बैसा में 58 एवं प्रखंड अमौर के 72 अदद ग्रामीण टोलों में जलापूर्ति नहीं की जा रही है ।

(2) छूटे हुये टोलों के तहत सर्वेक्षण कराकर प्राक्कलन तैयार कर ली गई है । अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

मुआवजा देना

*329. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मधुबन प्रखंड अन्तर्गत दुलमा, गाढ़हिया व अन्य पंचायत के 100 एकड़ से अधिक में लगी मक्के की फसल में दाना नहीं आया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसानों द्वारा प्राईवेट बीज कम्पनी मोनोसेंटो (डेकाल्ब) का मक्का बीज वैरायटी 8225 का रबी फसल में बाइक किया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि किसानों की शिकायत पर मधुबन प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार व विशेषज्ञों के साथ मक्के के खेतों का भौतिक सत्यापन कराने पर मामला सत्य पाया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नुकसान उठाने वाले मक्का किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

*330. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रूपौली विधान सभा क्षेत्र में आलू की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, परन्तु आलू भंडारण गोदाम नहीं रहने के कारण किसानों की उगाई गई आलू खराब हो जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार रूपौली प्रखंड मुख्यालय में स्थित सरकारी भूमि पर आलू भंडारण के लिये कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*331. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा नगर पंचायत अन्तर्गत एन0एच0 19 स्थित बस स्टैण्ड से मुख्य बाजार होते हुये रेलवे पूर्वी ढाला तक की सड़क जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण दुकानदारों एवं राहगीरों को रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हाट-बाजार, डाकघर एवं अस्पताल आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*332. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड के कैलाशपुरी मुहल्ला, वार्ड नम्बर 45, नगर निगम क्षेत्र में स्थित है, जहाँ कैलाशपुरी चौक से श्री सीताशरण राय के घर तक की सड़क बिल्कुल जर्जर एवं गड्ढा में तब्दील हो चुका है, साथ ही नाला नहीं होने के कारण सड़क पर जल-जमाव रहता है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कैलाशपुरी चौक से श्री सीताशरण राय के घर तक नाला के साथ सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध करना

*333. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर प्रखंड में ग्राम पंचायत, लोहना उत्तरी में स्वीकृत पंचायत सरकार भवन का निर्माण भूमि चिह्नित नहीं रहने के कारण निर्माण कार्य बाधित है, जबकि उक्त पंचायत में गैर-मजरूआ भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार लोहना उत्तरी पंचायत सरकार भवन के लिये कबतक भूमि उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल खोलना

*334. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 8-10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल खोलने तथा पशुओं के चिकित्सा सुविधा यथा टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान जैसे सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी की व्यवस्था करना, कॉल सेन्टर, मोबाइल ऐप तथा टेलीमेडिसिन की सहायता से पशु चिकित्सा परामर्श दिलाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के गोरेयाकोठी प्रखंड में 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल नहीं रहने के कारण पशुपालकों को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल आवंटित करना

*335. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज और दुल्हिन बाजार प्रखंड में भू-जल स्तर नीचे चले जाने की वजह से पेयजल का भीषण संकट पैदा हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों के लिये कम-से-कम 200 हथिया चापाकल आवंटित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। दिनांक 30 जून, 2023 को पालीगंज का औसतन Water Table 24'6" है एवं दुल्हिन बाजार का औसतन Water Table 25'9" है।

अत: कहीं भी जल संकट नहीं है।

इस प्रमंडल को 50 अदद् नये चापाकलों के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है।

कार्रवाई करना

*336. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पशुपालक किसानों को सूखा चारा, हरा चारा, चोकर, पशु आहार, दाना इत्यादि सामानों की कीमत ज्यादा रहने से लागत के अनुपात में दूध का कीमत नहीं मिल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कॉम्फेड के अन्तर्गत संचालित दुग्ध समितियों द्वारा किसानों को एक लीटर दूध का वजन 800 ग्राम मिलता है तथा दूध का फैट जाँच में भी शुद्धता की अनदेखी की जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पशुपालक किसानों के हित में इसकी जाँच कराकर गड़बड़ी करने वाले दोषी दुग्ध समितियों पर कार्रवाई कर दुग्ध किसानों को समुचित लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*337. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत वार्ड नम्बर 7 में ठगवा चौक से बहेलिया टोला होते हुये अग्रवाल चौक तक जानेवाली सड़क काफी जर्जर हो जाने के कारण क्षेत्र की जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*338. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखण्ड अंतर्गत नगर पंचायत सिंहेश्वर वार्ड सं0 08 एवं 06 में शर्मा चौक से शांति वन गली होते हुए चुड़ा मील तक पक्की सड़क एवं नाला नहीं होने के कारण आमलोगों को वर्षात के दिनों में आवागमन में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर पक्की सड़क एवं नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण कराना

*339. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत ईस्ट ब्लॉक के चांदी पंचायत में पशु चिकित्सालय का भवन जीर्ण-शीर्ण है एवं चहारदीवारी नहीं है तथा चिकित्सक की कमी है जिसके कारण पशुपालकों को पशु ईलाज में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार कर चहारदीवारी निर्माण एवं चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति को सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*340. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बायसी प्रखण्ड एवं डगरूआ प्रखण्ड में नल-जल संचालकों को पिछले 28 महीने की राशि का भुगतान नहीं किया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों प्रखण्डों के नल-जल संचालकों के बकाया राशि का भुगतान कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कार्य कराना

*341. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज शहर में स्थाई बस स्टैंड एवं विश्रामालय नहीं रहने के कारण बड़े-छोटे वाहनों का यत्र-तत्र ठहराव से शहर में महाजाम की स्थिति बनी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी कार्यालय, महाविद्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय, अनुमंडल, कोट-कचहरी इत्यादि विक्रमगंज में ही अवस्थित है, जहाँ लगातार लोगों का आना-जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विक्रमगंज में स्थाई बस स्टैण्ड एवं प्रतीक्षालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति कराना

*342. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत रानीगंज में कार्यपालक पदाधिकारी का एक, नगर प्रबन्धक का एक, प्रधान लिपिक का एक, उच्चवर्गीय लिपिक का एक, निम्नवर्गीय लिपिक का दो, अमीन का एक निम्नवर्गीय रोकड़पाल के कार्य हेतु एक, उच्च वर्गीय लेखापाल के कार्य हेतु एक एवं सहायक राजस्व एवं लेखापाल पदाधिकारी का एक पद स्वीकृत है, किन्तु अबतक पूर्णकालीन पदाधिकारी और कर्मचारी नहीं रहने से नगर पंचायत रानीगंज का प्रशासनिक रूप से कुशल प्रबन्धन नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत रानीगंज में स्वीकृत पद के विरूद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*343. श्री पंकज कुमार मिश्रा (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अंतर्गत तिलकताजपुर पंचायत में मवेशी आश्रय स्थल नहीं रहने से बाढ़ के समय में मवेशियों के रख-रखाव एवं जीवन बचाने में संकट का सामना पशुपालकों को करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत में पशु आश्रम स्थल का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सदस्यता रद्द करना

*344. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगरपालिका आम चुनाव का परिणाम घोषित होने के पश्चात् भी अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में अंकित सूचना असत्य पाए जाने पर सदस्यता रद्द किये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा नगर परिषद् के मुख्य पार्षद का पद अनुसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित है, परन्तु नगर परिषद् शेखपुरा में निर्वाचित मुख्य पार्षद द्वारा जाली/फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अपना नामांकन पत्र दाखिल की गयी थी, जिसकी जांच जिलाधिकारी, पटना द्वारा किये जाने पर जांचोपरांत प्रमाण-पत्र को विगत 6 माह पूर्व रद्द कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त निर्वाचित मुख्य पार्षद की सदस्यता रद्द करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*345. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत नगर परिषद्, वार्ड नं0 33 जुलजुली मुख्य सड़क से आदिवासी टोला होते हुए लोहागाछी बंगाल सीमा तक जानेवाली पक्की सड़क की स्थिति जर्जर है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिससे आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*346. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पचिम चम्पारण जिलान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत मछरगावां स्थित बड़े बाजार की जमीन को आस-पास के लोगों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाजार की अतिक्रमित जमीन के हिस्से को कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*347. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्यों में प्राइवेट बीज कंपनी मोनोसेंटों (डेकलाब) के मक्का बीज वैरायटी 8225 के बिक्री हेतु सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के जिन किसानों ने उक्त वैरायटी का रबी फसल हेतु मक्का बीज की बुआई की है उनके पौधों की बाली में दाना नहीं आया, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर नुकसान उठाने वाले किसानों को कबतक मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*348. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सभी राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में महापौर एवं मुख्य पार्षद को कार्य करने के लिये कार्यालय कक्ष एवं अन्य सुविधा उपलब्ध है, जबकि उन्हीं के साथ निर्वाचित हुये उप-महापौर एवं उप मुख्य पार्षद को कार्य करने हेतु कार्यालय कक्ष एवं अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उप-महापौर एवं उप मुख्य पार्षदों के लिये भी कार्यालय कक्ष एवं अन्य सुविधा कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऑडिट कराना

*349. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 अप्रील, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "2987 पैक्स व 406 व्यापार मंडलों ने नहीं कराया ऑडिट" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 38 जिलों में पिछले दो वर्षों से 2987 पैक्स एवं 406 व्यापार मंडलों का ऑडिट नहीं कराये जाने के कारण वित्तीय अनियमितताएँ होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार पैक्सों एवं 406 व्यापार मंडलों का ऑडिट कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*350. श्री शम्भु नाथ यादव (क्षेत्र संख्या-199 ब्रहमपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के ब्रहम्पुर नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत ब्रहम्पुर बड़ी मस्जिद से नाला उत्तर दिशा में गया है जिसमें पूरे नगर का गन्दा पानी गिरता है, परन्तु नाली संकीर्ण होने से गंदे पानी का बहाव पूरी तरह नहीं हो पाता है, जिससे गन्दा पानी यत्र-तत्र बहता रहता है, जिससे शहर में गन्दगी फैली रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ब्रहम्पुर नगर निगम क्षेत्र में नाला का निर्माण कराकर शहर का गंदा पानी निमेज नदी में गिराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*351. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर नगर परिषद् क्षेत्र

में सम्राट अशोक भवन का निर्माण अभीतक नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित नगर परिषद् क्षेत्र में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

निस्तारण कराना

*352. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत केसरिया नगर पंचायत में संग्रहित कचरा को बिना रिसाइक्लिंग एवं निस्तारण की व्यवस्था किये हाईवे के बगल में खुले में रखा जा रहा है, जिसके कारण वायु प्रदुषित होने के साथ-साथ लोगों को वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार केसरिया नगर पंचायत के संग्रहित कचरा को कबतक रिसाइक्लिंग कर निस्तारण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पंचायत में शामिल करना

*353. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र का वार्ड नं० 18 पूर्व में पंचायत का हिस्सा था, जो परिसीमन में परिवर्तन होने के कारण नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर निगम वार्ड नं० 18 जो की गुप्ता लखमिनिया बाँध से दक्षिण दिशा में है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण गंगा नदी के पानी में लगभग 3 महीनों तक डूबा रहता है, जिससे उक्त वार्ड में बिमारियों का प्रकोप हमेशा बना रहता है, तथा स्थानीय निवासियों के लिये जीवन-यापन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वार्ड को नगर निगम क्षेत्र से हटाकर पंचायत में शामिल कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेय जल की आपूर्ति

*354. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, हिलसा के नगरनौसा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत कैला के ग्राम महमदपुर से पेय जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत भुतहाखार के ग्राम शाहपुर में किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम महमदपुर से ग्राम-शाहपुर की दूरी लगभग 1 कि०मी० है जिस कारण ग्राम शाहपुर में पेय जल की आपूर्ति बाधित रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ग्राम शाहपुर के ग्रामवासियों को पेय जल की आपूर्ति हेतु शाहपुर में नया बोरिंग कराकर पेयजल की आपूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम पंचायत कैला के ग्राम-मुहमदपुर में PWS योजना कार्यरत हैं। जहां 40000 गैलन क्षमता के जलमीनार से जलापूर्ति चालू है।

ग्राम पंचायत भूतहाखार के ग्राम शाहपुर में कुल 137 घर अवस्थित है। परंतु भौगोलिक विषमता एवं मूल योजना से 1 किलोमीटर से अधिक दूर होने के कारण आँशिक घरों में 95 अदद में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है।

(2) उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(3) ग्राम शाहपुर में 95 अदद घरों में उपरोक्त कारणों से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। उक्त मामले के निराकरण हेतु छुटे हुये टोला में सुचारू रूप से जलापूर्ति देने हेतु अतिरिक्त योजना का प्राक्कलन तैयार है। अनुमोदनोपरांत जलापूर्ति चालू कर दिया जायेगा।

तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति देना

*355. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत नगर पंचायत परबत्ता में पी०डब्लू०डी० सरकारी गड्ढा से परबत्ता थाना होते हुये हॉस्पिटल गेट के सामने तक नाला निर्माण के लिये प्राक्कलन की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, परबत्ता द्वारा कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, बेगूसराय-खगड़िया को पत्रांक 25, दिनांक 18 जुलाई, 2022 द्वारा योजना मद-राज्य योजना, वर्ष 2022-23 तकनीकी अनुमोदन हेतु भेजा गया है, जो अबतक लंबित है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार प्राक्कलन की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*356. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड आमस में NH-2 सड़क चौड़ीकरण में भू-दाताओं की भूमि अधिगृहित की गयी है, निबंधन विभाग द्वारा उक्त भूमि के प्रकार को व्यावसायिक श्रेणी में रेखांकित किया गया है, जबकि उसी भूमि को जिला भू-अर्जन के द्वारा भीठ अथवा धनहर घोषित कर भू-दाताओं को मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे भू-दाताओं में आक्रोश व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त अधिगृहित भूमि का मुआवजा व्यावसायिक श्रेणी की भूमि के अनुरूप भू-दाताओं को करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सीमांकन कराना

*357. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पटना सदर के आदेश दाखिल-खारिज वाद संख्या 83/22-23, दिनांक 25 फरवरी, 2023 द्वारा अवैध जमाबंदी खारिज करने एवं भू-मापी कर सीमांकन कराकर वैध भू-धारी को बैंक ऋण द्वारा बैनामा प्राप्त जमीन पर भवन निर्माण हेतु भूमि सीमांकन कराने का आदेश पारित किया गया परन्तु इसका अनुपालन अभीतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

नाला निर्माण कराना

*358. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत नरपतगंज प्रखंड मुख्यालय बाजार मामूली बारिश होने पर भी जलमग्न हो जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन सहित दिनचर्या में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नरपतगंज बाजार में जल निकासी हेतु नाला का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगाना

*359. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के सोन तटीय इलाके में भी जल स्तर नीचे चला गया है, जिसके कारण अरवल एवं कलेर प्रखंड में दर्जनों गाँवों में सरकारी चापाकल से पानी निकलना बंद हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अरवल एवं कलेर प्रखंड के सोन तटीय इलाके में पानी के लेयर के अनुरूप सरकारी चापाकल लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आँशिक स्वीकारात्मक । अरवल जिले के कलेर एवं अरवल प्रखंड के सोने तटीय इलाके में विभाग द्वारा निर्मित चापाकल चालू है तथा कुछ निजी चापाकल जो कम गहराई में गाड़े गये हैं जल स्तर नीचे चले जाने के कारण बंद हो गये हैं। कलेर एवं अरवल प्रखंड का औसत जल स्तर क्रमशः 24.18 एवं 19.77 फीट है। इस वित्तीय वर्ष में जिला अन्तर्गत 35 अदद नये चापाकल लगाने का लक्ष्य प्राप्त है, जिसकी विनिदा की प्रक्रिया की जा रही है।

दोषी पर कार्रवाई

*360. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इस्लामपुर नगर परिषद् के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में 16 जनवरी, 2023 से 30 अप्रील, 2023 तक प्रतिनियुक्त रहे हैं तथा प्रतिनियुक्ति के अवधि में इन्होंने हर वार्ड में वोर्ड लगाने एवं नगर परिषद्, इस्लामपुर को साफ-सफाई एवं सौन्दर्यीकरण के नाम पर करीब तीन करोड़ रुपये का नगर परिषद् के एकाउन्ट से अवैध निकासी किये हैं, जबकि इस्लामपुर नगर परिषद् में किसी प्रकार को कोई सौन्दर्यीकरण का कार्य नहीं किया गया और पूरे पैसे का बंदरबांट किया गया, यदि हाँ, तो सरकार इस्लामपुर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रभारी कार्यपालक रहते हुये किये गये वित्तीय अनियमितता की जाँच कराकर दोषी विकास पदाधिकारी के विरुद्ध कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*361. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के नगर पंचायत, नरपतगंज का कार्यालय भवन नहीं होने के कारण विकास संबंधित कार्य प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नरपतगंज नगर पंचायत का कार्यालय भवन बनवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

रख-रखाव की व्यवस्था करना

*362. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत नगर परिषद्, बनमनखी में चार हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापित है जो रख-रखाव के अभाव में कई वर्षों से खराब पड़ हुआ है, जिसके कारण रात के अंधेरे में राहगीरों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त हाई मास्ट लाईट को पुनः चालू कराते हुये रख-रखाव की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दखल-कब्जा दिलाना

*363. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ0जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रतवाड़ा गंडक प्रोजेक्ट कॉलोनी के भूमिहीन दलित वर्ग के लोगों को आवंटित भूमि का पर्चा मिला हुआ है लेकिन भूमि पर दखल-कब्जा नहीं दिलाया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कॉलोनी के भूमिहीन लोगों को भूमि दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*364. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज में श्रावणी मेला के दौरान कावरियों के अत्यधिक संख्या में आवागमन के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सीढ़ी घाट, सुलतानगंज से गंगा नदी के किनारे-किनारे रेलवे ओभर ब्रीज तक पी0सी0सी0 रोड बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ दिलाना

*365. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत नावकोठी प्रखंड के डफरपुर पंचायत के वार्ड नम्बर 7 और 8 में नल-जल योजना का कार्य अभीतक नहीं कराया गया है, जिसके कारण लोग दूषित पानी पीने के लिये मजबूर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड के लोगों को उक्त योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आँशिक स्वीकारात्मक है । बेगूसराय जिला के तहत नावकोठी प्रखंड के डफरपुर पंचायत अन्तर्गत वार्ड संख्या 7, 8, 9, 10, 11 को डफरपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना के आँशिक रूप से आच्छादित किया गया है । वार्ड संख्या 7 एवं 8 जलापूर्ति योजना से दूर रहने के कारण कुछ टोलों को इस योजना के द्वारा आच्छादित नहीं किया जा सका है । वार्ड संख्या 7 में 75 घर एवं 8 में 180 घरों को पूर्णरूपेण आच्छादित करने हेतु छूटे हुये टोलों का प्राक्कलन तैयार की गई है, स्वीकृति के उपरान्त सभी घरों को नल-जल योजना से आच्छादित कर लिया जायेगा ।

सड़क का निर्माण

*366. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अन्तर्गत सासाराम बौलियामोड़ से सागर तक 3 किलो मीटर की सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जबकि उक्त सड़क शहरी क्षेत्र का है, जिसपर अधिक संख्या में गाड़ियों का आवागमन होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को नये सिरे से बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*367. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत में अम्बेदकर चौक से गंगाघाट तक की सड़क बिल्कुल जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त सड़क को बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*368. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 115, दिनांक 14 जनवरी, 2016 के द्वारा नालन्दा जिलान्तर्गत 45 अदद् स्थानों पर चापाकल लगाने के लिये दिये गये आदेश में कार्यपालक अभियंता, हिलसा के द्वारा विलम्ब करने पर विभागीय पत्रांक 491, दिनांक 25 मई, 2023 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा से अनुपालन प्रतिवेदन की माँग की गई है, परन्तु इस संबंध में अबतक अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभागीय पत्रांक संख्या 115, दिनांक 14 जनवरी, 2016 एवं पत्रांक 491, दिनांक 25 मई, 2023 का उल्लंघन करने वाले दोषी अभियंताओं पर कार्रवाई करते हुये 45 अदद् स्थानों पर चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*369. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड में संचालित विभिन्न सहकारिता मिलों में तैयार अरवा चावल बी0एस0एफ0सी0 के माध्यम से जन-वितरण प्रणाली की दुकान में उपलब्ध कराया जाता है, जो गुणवत्ताविहीन किस्म का रहता है तथा इसे लाभुकों को दिया जाता है तथा बिचौलियों के माध्यम से लाभुक से उसी चावल को डीलर द्वारा खरीदकर उसी गुणवत्ताविहीन चावल को बी0एस0एफ0सी0 को भेज दिया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कचरा प्रबंधन कराना

*370. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला मुख्यालय नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन के लिये प्रति वर्ष करोड़ों रुपया खर्च किये जाने के बावजूद शहर के कचरा को शहर के बाहर मुख्य सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है, जिससे काफी गंदगी व प्रदूषण फैली रहती है, जिसमें आमजनों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर निगम क्षेत्र में कचरा प्रबंधन हेतु कोई ठोस उपाय निकालकर इस समस्या का कबतक सामाधान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन देना

*371. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमिहीनों, दलित, अति पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के पानापुर अंचल अन्तर्गत बसहिया, कोंध, महम्मदपुर, भोरहां, चकिया आदि पंचायतों के गाँवों में लगभग पाँच सौ से अधिक भूमिहीन परिवार बसे हुये है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर खंड (2) में बसे हुये भूमिहीन परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मास्ट लाईट लगाना

*372. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के अलौली मुख्यालय, रौन मुख्यालय, हरिपुर मुख्यालय, शम्भा मुख्यालय, मेघौना हाई स्कूल के पास मास्ट लाईट नहीं होने से ग्रामीण जनता को रात में आने-जाने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ऊपर वर्णित स्थानों पर हाई मास्ट लाईट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*373. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड दरियापुर में स्थित पशु अस्पताल का भवन जर्जर होने के कारण कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु अस्पताल का नया भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगाना

*374. श्री मनोज मँजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड अगिआंव के करबासीन मांझी टोला, प्राथमिक विद्यालय, किरकिरी एवं उर्दू स्कूल, अजीमाबाद के चापाकल नहीं है जिससे वहाँ बसने वाले दलित-गरीबों एवं स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिये पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर कबतक चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का अधिग्रहण

*375. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत कूड़ा डम्पिंग का स्थान नहीं होने से चारों ओर कूड़ा फेका रहता है, जिससे आमजनों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर निगम क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण कर कूड़ा डम्पिंग स्पेस बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल उपलब्ध कराना

*376. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड में जमदाहा में खोनाटिकर ग्राम के महादलित टोला, वार्ड 4 में 'हर घर नल का जल' के तहत अभीतक नल का जल नहीं मिलने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड के टोला में नल का जल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--प्रखंड-कटोरिया के पंचायत-जमदाहा, वार्ड संख्या 4, हरिजन टोला में 90 अदद् घरों में 'हर घर नल का जल' योजना द्वारा जलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है । इसी वार्ड संख्या 4 में खोनाटीकर गाँव है जिसमें लगभग 50 से 55 घर है जो की मूल योजना से डेढ़ से दो किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है जो छूटे हुये टोलों में चिहित की गई है । जिसका प्राक्कलन तैयार कर अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन में है ।

सड़क का निर्माण

*377. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत नगर निगम वार्ड 39 में मछली आढ़त (रेलवे फ्लाई ओवर के नीचे) से भाया कृषि विभाग कार्यालय सिंगल टोला महादलित बस्ती तक की सड़क जर्जर होने के कारण शहरवासी को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

*378. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज प्रखंड के मानी पंचायत में ग्राम-लक्ष्मणपुर के अधिकतर महादलित परिवार 50 वर्षों से पोखर की जमीन पर अपना घर बनाकर गुजर-बसर कर रहे थे, जिसको स्थानीय प्रशासन द्वारा जमीनदोज कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त पीड़ित महादलित परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*379. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला में सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों के कारण पूर्व सिंचित भूमि के साथ-साथ टाल क्षेत्रों में भी धान का उत्पादन किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि टाल क्षेत्रों में उत्पादन के कारण धान का उपादन भी ज्यादा हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला में किसानों से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*380. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला मुख्यालय प्रखंड अन्तर्गत जगदीशनन्दन सिंह पथ पूर्णत: जर्जर स्थिति में है तथा उक्त सड़क में सालों भर जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजनों को आवागमन में कठिनाई होती है साथ ही आये दिन दुर्घटना भी होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पथ के जल-जमाव से मुक्ति दिलाने हेतु सड़क के निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्त कराना

*381. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के लहेरियासराय एवं डी०एम०सी०एच० में जल-जमाव से निदान हेतु कर्पूरी चौक से सैदनगर तक भू-गर्भीय नाला के निर्माण हेतु तीन वर्ष पूर्व 6 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गयी थी, परन्तु तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी अभीतक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजना को सम्पन्न कराकर इस इलाके के लोगों को कबतक जल-जमाव से मुक्त कराना चाहती है ?

पदस्थापित करना

*382. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत बसंतपुर को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत, बसंतपुर में कार्यपालक पदाधिकारी का पद दिनांक 3 मार्च, 2023 से खाली है, जिसके कारण बंसतपुर नगर पंचायत का विकास कार्य बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर पंचायत, बसंतपुर में कार्यपालक पदाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*383. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम के सभी 51 वार्डों को धूलमुक्त, कचरामुक्त और स्वच्छ करने के लिये नगर निगम के अन्तर्गत 1200 स्थाई, अस्थाई मजदुर, धूल खींचने एवं नाला सफाई की मशीनें, 225 गाड़ियाँ रहने के बावजूद हर दिन शहर की सड़कों एवं गलियों में 30 से 50 टन कचरा बिखरा पड़ा रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर निगम द्वारा निर्मित 27 कम्युनिटी टॉयलेट में से 18 में ताले बंद हैं, जिसके कारण लोग जहां तहां शौच एवं मूत्र विसर्जन के लिये विवश हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भागलपुर नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत साधन की उपलब्धता रहने के बावजूद साफ सफाई नहीं होने का क्या औचित्य है ?

भवन का निर्माण

*384. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत नगर पंचायत परबत्ता का अपना भवन नहीं है, जिससे कर्मियों एवं आमजनों को कार्यान्वयन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत परबत्ता का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*385. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रदेश में कुल 506 (पाँच सौ छ:) पैक्सों में ड्रायर सहित

(अरबा) राईस मिल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि का आवंटन करते हुये किस्तों में 90 प्रतिशत आवंटित राशि का निकासी हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग आवंटित राशि के निकासी के बावजूद अभीतक कुल 93 (तिरान्वे) पैक्सों में ड्रायर सहित राईस मिल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इतने वर्ष बीत जाने एवं लगभग राशि की निकासी के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के लिये दोषी को चिन्हित कर दंडित करने एवं निर्माण कार्य पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कचड़ा के समुचित निष्पादन

*386. श्री रण विजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर नगर परिषद् एवं शाहपुर पटोरी नगर परिषद् में कूड़ा-कचड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाई होती है तथा गंभीर बिमारियों से ग्रसित होने का खतरा बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर परिषद् क्षेत्रों में कबतक कूड़ा-कचड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*387. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 मई, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "शहरों के अनियोजित विकास से जल निकासी बनी जंजाल" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 261 शहरों में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण मानसून में राज्य के ज्यादातर शहरों को जल-जमाव की समस्या का सामना करना पड़ता है, साथ ही शहरों के कई इलाकों में बरसाती पानी का जमाव 3 से 6 माह तक रहता है, जिसके कारण लोगों के जन-जीवन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शहरों में बरसाती पानी की निकासी हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी सप्लाई पहुँचाना

*388. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड में शहजादपुर पंचायत के ग्राम-विशनपुर के वार्ड नं० 10 एवं वार्ड नं० 9 में नल-जल योजना के तहत पानी सप्लाई हेतु त्रिवेणी मंडल एवं सिकन्दर मंडल के दरवाजे पर स्थित बोरिंग एवं पानी टंकी से शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर स्थित पानी टंकी से नल-जल योजना के तहत घर-घर पानी सप्लाई पहुंचाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक। भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड में शहजादपुर पंचायत के ग्राम विशनपुर के वार्ड नं०10 में जलापूर्ति योजना श्री त्रिवेणी मंडल के घर के निकट अवस्थित है, से नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

इस पंचायत के वार्ड सं० 9 में श्री सिकंदर मंडल के घर के निकट अवस्थित जलापूर्ति योजना में पर्याप्त भोल्टेज रहने पर जलापूर्ति की जाती है। इस योजना में विद्युत् सुल्तानगंज अवस्थित फीडर से है जो कि अत्यधिक दूरी पर होने के कारण प्रायः लो भोल्टेज की समस्या रहती है, जिस कारण नियमित जलापूर्ति में समस्या होती है।

विद्युत् कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता (पीएचईडी) के द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात् विद्युत् कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि भुवालपुर फीडर से संयोजन उपरांत लो भोल्टेज की समस्या दूर की जा सकेगी। इस संदर्भ में लो भोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु विद्युत् कार्यपालक अभियंता को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व के पत्रांक 2990, दिनांक 24 नवम्बर, 2022 एवं पत्रांक 1488, दिनांक 26 जून, 2023 द्वारा भी अनुरोध किया गया है (पत्र संलग्न)। लो भोल्टेज की समस्या के समाधान उपरांत नियमित जलापूर्ति की जायेगी।

जल मिनार चालू कराना

*389. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बगहा नगर परिषद् अन्तर्गत बुडको द्वारा कुल सात मुहल्लों यथा पोस्ट ऑफिस, सुजीघाट, बबई टोला, टाउन हॉल, सुगर मिल इत्यादि स्थानों पर जलमिनार बनाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कुल 2 स्थान पोस्ट ऑफिस और प्रखंड कार्यालय परिसर पर स्थापित जलमीनार को छोड़कर अन्य स्थानों पर स्थापित जलमीनार से जलापूर्ति नहीं हो रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना 2018-19 में बुडको द्वारा एजेंसी को बनाने हेतु दी गयी थी;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाकी बचे जलमीनार से जलापूर्ति व्यवस्था प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ड्रेनेज व्यवस्था कराना

*390. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर के बोरिंग रोड स्थित एक्सिस बैंक के सामने तथा विवेकानन्द मार्ग में सीवरेज तथा जलापूर्ति के पाइप क्षतिग्रस्त होने से सड़क पर लगातार तीन महीने से गंदा पानी लोगों के घरों के प्रांगण में जमा हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विवेकानन्द मार्ग से गुजरने वाले बच्चे-बुजुर्गों, स्कूल-कॉलेज तथा कोचिंग-हॉस्टल में पढ़ने-रहने वाले बच्चें-बच्चियों के साथ-साथ राहगीरों को उक्त गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना शहर के विवेकानन्द मार्ग तथा इससे सटे बोरिंग रोड में ड्रेनेज व्यवस्था का निर्माण तथा जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन को दुरूस्त कराकर समस्या का निदान कराने का विचार रखती है ?

जलापूर्ति कराने का विचार

*391. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत नगर पंचायत, चनपटिया में 6 करोड़ 18 लाख की लागत राशि से सभी घरों में नल-जल योजना के तहत वर्ष 2021 एवं 2022 में ही जलापूर्ति करनी थी, किन्तु अभीतक नगर पंचायत, चनपटिया के एक घर में उक्त योजना के तहत नल का जल नहीं पहुंच पाया है, जबकि अधिकारियों द्वारा उक्त योजना का 80 प्रतिशत से अधिक की राशि का भुगतान संवेदकों को कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं उक्त नगर पंचायत में नल-जल योजना के तहत जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्निर्माण कराना

*392. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अन्तर्गत जमालपुर प्रखंड के ईस्ट कॉलोनी थाना के वार्ड नं०4 दुर्गा दास तुलसी रोड में प्रमोद मंडल की दुकान से दास टोला गली में योगेन्द्र दास के घर तक 200 मीटर पी०सी०सी० रोड एवं नाला अत्यंत जर्जर है, जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जर्जर पी०सी०सी० सड़क एवं नाला का पुनर्निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*393. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) **क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत नगर पंचायत परसा बाजार में सम्राट अशोक** भवन नहीं हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय योजना के अनुसार प्रत्येक नगर पंचायत में एक सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त नगर पंचायत में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान देने का विचार

*394. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड में गरीब छोटे किसानों को बोरिंग नहीं होने के कारण खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग द्वारा बड़े किसानों को बोरिंग पर अनुदान दिया जाता है, परन्तु छोटे किसानों को बोरिंग के लिये कोई अनुदान नहीं दिया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अलौली प्रखंड के छोटे किसानों को बोरिंग के लिये अनुदान देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*395. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत नगर पंचायत पिपरा के पिपरा बाजार में सामुदायिक शौचालय नहीं रहने के कारण आस-पास के गाँवों के लोग जो प्रतिदिन आवश्यक कार्यों से बाजार आते हैं, उनलोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पिपरा बाजार के सभी चौकों के आस-पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मती कराना

*396. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत अंचल आलमनगर के अधीन राजस्व कचहरी रतवाड़ा, राजस्व कचहरी आलमनगर अंचल चौसा के अधीन राजस्व कचहरी चौसा, राजस्व कचहरी घोषई तथा अंचल पुरैनी के अधीन राजस्व कचहरी पुरैनी का भवन जीर्ण-शीर्ण है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त क्षतिग्रस्त राजस्व कचहरी के भवनों का मरम्मती कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्निर्माण कराना

*397. श्रीमती रेणु देवी (क्षेत्र संख्या-8 बेतिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर अनुमंडल में आर०पी०एस० पथ के अधीन वसंत विहार कॉलोनी में नाला का निर्माण वर्ष 2013 में किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि आर०पी०एस० पथ का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित कर पथ के साथ नाला का भी निर्माण किया गया जो वसंत विहार कॉलोनी में बनाया गये नाला से करीब एक फीट ऊपर है, जिससे वसंत विहार कॉलोनी में बनाये गये नाला का पानी मुख्य नाली में नहीं जाता है जिसके चलते नाले का पानी घरों में घुस रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वसंत विहार कॉलोनी में बनाये गये नालों का पुनर्निर्माण कराकर नाले का पानी का बहाव मुख्य नाली में कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*398. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी नगर परिषद् क्षेत्र में मांस एवं मछली बाजार नहीं रहने के कारण सड़क किनारे खुलेआम मांस एवं मछली बेचा जा रहा है तथा अवशेष को सड़क किनारे फेंका जाता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है एवं शहर में गंदगी फैल रही है, यदि हाँ, तो सरकार बनमनखी नगर परिषद् क्षेत्र को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिये मांस एवं मछली बाजार का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*399. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 20 जून, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''लगातार गिर रहा है बिहार में भू-जल का स्तर'' के आलोक में क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के सर्वे के अनुसार राज्य के औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, सहरसा सहित कई जिलों में भू-जल स्तर में पिछले तीन वर्षों से लगातार कमी हो रही है, जिससे इन जिलों में पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण खंड (1) में वर्णित जिलों में समय पर चापाकलों की मरम्मती एवं उखाड़-गार नहीं होने से जनता को पेयजल सुविधा पर्याप्त नहीं मिल रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पेयजल के समस्या को समय पर दूर नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

बन्दोबस्त करना

*400. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि करीब 1950 के दशक से अरवल जिला के रामपुर वैना में खाता 201 एवं प्लॉट 534 पर एवं पंचायत सरौती गाँव में विन्द टोली जो आहर के पिंड पर 1930 के दशक से बसे हुये भूमिहीन दलित परिवार को जमीन का बन्दोबस्ती अभीतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन पर बसे हुये भूमिहीनों के नाम पर जमीन बन्दोबस्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*401. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड कोचाधामन में सोन्था पंचायत के वार्ड नम्बर 9 एवं 13 में 250 परिवार शुद्ध पेयजल से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड के वंचित परिवारों को शुद्ध पेयजल की कबतक व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--किशनगंज जिलान्तर्गत सोन्था पंचायत के वार्ड संख्या 9 एवं 13 में 250 छूटे हुये परिवार को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने हेतु एक नये योजना की आवश्यकता है, उक्त योजना का प्राक्कलन तैयार की गई है । योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

चहारदीवारी का निर्माण

*402. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरीयानी प्रखंड नरवाला ग्राम में पशु चिकित्सालय का भवन जर्जर हो चुका है और उक्त भवन का चहारदीवारी भी नहीं है, जिसके कारण पशु चिकित्सा कराने में लोगों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चिकित्सालय का भवन की मरम्मती के साथ-साथ चहारदीवारी का कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*403. श्री संजीव चौरसिया (क्षेत्र संख्या-181 दीघा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दीघा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बाबा चौक, इन्द्रपुरी, रवि चौक से राजापुर होते हुये आनंदपुरी नाला तक गुजरने वाले खुले नाला को पाटकर सड़क निर्माण हेतु दो वर्ष पूर्व लगभग 74 करोड़ राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है, परन्तु निर्माण कार्य अबतक शुरू नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान के खुले नाला को पाटकर सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण कराना

*404. श्री राम रतन सिंह (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सहकारिता कार्यालय, मुजफ्फरपुर में 15 वर्षों से अधिक अवधि से लिपिक पदस्थापित हैं तथा दो मामलों में अभियुक्त भी है, यदि हाँ, तो सरकार सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के संदर्भ में बनाये गये कार्यपालिका नियमावली के आलोक में जिला सहकारिता कार्यालय, मुजफ्फरपुर में 15 वर्षों से पदस्थापित कर्मी का स्थानान्तरण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी उपलब्ध कराना

*405. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड-डुमराँव के पंचायत अटाँव के ग्राम-अटाँव के महादलित बस्ती में नल-जल योजना अन्तर्गत पानी टंकी का निर्माण 2021 में कराया गया था, जिसके खराब हो जाने के कारण महादलित बस्ती में पानी की सप्लाई अवरुद्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम के महादलित बस्ती अन्तर्गत पानी कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--बक्सर जिला के प्रखंड-डुमराँव के पंचायत-अटाँव के ग्राम-अटाँव के महादलित बस्ती में नल-जल योजना का कार्य पंचायती राज विभाग (PRD) द्वारा कार्य कराया गया है । विभागीय पत्रांक 6ए/वि0-1020/2023-943, पटना, दिनांक 5 जून, 2023 के आलोक में पंचायती राज विभाग द्वारा कराये गये 'हर घर नल का जल' योजना हस्तानांतरण करने हेतु आदेश प्राप्त है । योजना का हस्तानांतरण पंचायती राज विभाग से प्राप्त होने के उपरान्त योजना चालू करने की कार्रवाई की जायेगी ।

औचित्य बतलाना

*406. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 जून, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''साढ़े तीन मीट्रिक टन ही हो सकी गेहूँ की खरीद'' के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण सहित राज्य में गेहूँ की खरीदारी की अंतिम तिथि 16 जून थी जिसमें सारण जिला में 39 हजार 313 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध मात्र साढ़े तीन मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदारी की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में किसान द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति यानी पैक्स के माध्यम से गेहूँ बेचने के बाद समय पर बेचे गए गेहूँ का मूल्य प्राप्त नहीं होती है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सारण जिला में लक्ष्य के अनुरूप गेहूँ नहीं खरीदने का क्या औचित्य है ?

नियम लागू करना

*407. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के तहत अधिनियम से आच्छादित लाभुकों के बीच नगद अंतरण के लिए अगस्त, 2015 ई0 में खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण नियम, 2015 अधिसूचित है, जिसके तहत राज्य सरकार की सहमति से पात्र परिवारों के बैंक खातों में राजसहायता के समकक्ष नकद राशि सीधे लाभुकों के खाते में अन्तरित किए जाने का प्रावधान है, परन्तु उक्त नियम बिहार में लागू नहीं होने के कारण इसके लाभुकों को नगद अंतरण राशि नहीं मिल रही है, जबकि चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा, नगर हवेली एवं दमन-दीव में यह नियम लागू है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार वर्णित राज्यों/संघों के तर्ज पर राज्य में उक्त नियम कबतक लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल की आपूर्ति

*408. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत नगर पंचायत मैरवा, वार्ड संख्या-12, ग्राम-श्रीनगर में हर घर नल-जल जलापूर्ति योजना के तहत मानक के अनुरूप पाइप लाइन नहीं बिछाये जाने के कारण लोगों को समुचित लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर कबतक उक्त ग्राम में जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*409. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड नगर पंचायत के सरईया ग्राम में नवजीवन पुस्तकालय का भवन जर्जर अवस्था में है, जो कभी भी गिर सकता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जर्जर पुस्तकालय भवन का नवनिर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल आपूर्ति कराना

*410. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रखंड गोह के हसामपुर पंचायत के ग्राम-मियांपुर तथा फाग पंचायत के ग्राम-सागरपुर में जल स्तर काफी नीचे होने के कारण लोगों को पीने का पानी भी काफी कठिनाई से प्राप्त होती है तथा इन गांव में 350 फीट गहरा बोरिंग कराना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-मियांपुर तथा ग्राम-सागरपुर में पानी की टंकी (जलमीनार) बनवाकर जल आपूर्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि हसामपुर पंचायत के ग्राम-मियांपुर में लगभग 100 घरों की बस्ती है जहाँ की कुल आबादी लगभग 520 है। उक्त गाँव में विभागीय कुल 3 अदद इंडिया मार्क एवं 1 अदद साधारण चापाकल निर्मित है, जो कार्यरत है।

गोह प्रखंड के फाग पंचायत के ग्राम-सागरपुर 60 घरों की बस्ती है जहाँ की कुल आबादी लगभग 350 है। उक्त गाँव में विभागीय कुल 3 अदद इंडिया मार्क एवं 3 अदद साधारण चापाकल है, जो कार्यरत है ।

वर्तमान में सामान्य से कम वर्षापात होने के कारण भू-जल स्तर में गिरावट दर्ज की गयी है। परंतु पेयजल की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। उक्त ग्रामों में उन्नत किस्म के IM-II एवं IM-III हैण्ड पम्प (औसत गहराई 140 फीट) कार्यरत है जो गहराई से भी पेयजल उपलब्ध कराने में सक्षम है। वर्तमान में उपरोक्त ग्रामों में पेयजल की समस्या नहीं है।

वर्ष 2023 के जून माह में गोह प्रखंड का औसतन भू-जल स्तर 34.5 फीट है ।

प्रखंड गोह के हसामपुर एवं फाग पंचायत में नल-जल योजना का कार्य पंचायती राज विभाग के अधीन है। ग्राम-मियांपुर में पंचायती राज विभाग के द्वारा नल-जल योजना का कार्य किया गया है। जिससे ग्रामीणों को पेय जलापूर्ति की जा रही है।

कार्रवाई करना

*411. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 24/2019-20 के आलोक में कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा निर्गत पत्रांक 1985/कृ0, पटना, दिनांक 05 मई, 2020 के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर को निर्देशित किया गया है कि किसानों को दिए जाने वाले कृषि उपकरण के अनुदान में हुई अनियमितता के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 में HDPE पाइप बिक्रेता (1) मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राईजेज, बक्सर से रुपये 12,72,216/- (2) मेसर्स जय बजरंग ट्रेडर्स, बक्सर से रुपये 3,02,412/- एवं (3) माँ अम्बे इंटरप्राईजेज, बक्सर से रुपये 9,80,232/- की अनुदान की राशि की वसूली करते हुए उनपर नियमानुसार विधिसम्मत् कार्रवाई सुनिश्चित किया जाये, यदि हाँ, तो सरकार अनुदान की राशि भुगतान करने में हुए अनियमितता की जाँच कर दोषी पदाधिकारी एवं बिक्रेताओं पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन देना

*412. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमिहीनों, दलित, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमील जमीन देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया-अंचल अंतर्गत डूमरी, माधोपुर, चंचलिया चैनपुर, तरैया, पचभिण्डा आदि पंचायतों के गाँवों में लगभग पांच सौ से अधिक भूमिहीन परिवार बसे हुए हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर खंड (2) में बसे हुए भूमिहीन परिवारों को 5-5 डिसमील जमीन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं,तो क्यों ?

जल मीनार बनवाना

*413. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बड़हरा कोठी प्रखण्डान्तर्गत सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत हर घर नल का जल योजना से शुद्ध पेयजल मुहैया कराना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पंचायत लक्ष्मीपुर वार्ड नं०8 एवं 12 तथा पंचायत नाथपुर के वार्ड नं०4 एवं 14 में अभीतक शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु जलमीनार का निर्माण नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वार्ड के वंचित परिवारों को नल-जल योजना का लाभ देने हेतु उक्त दोनों पंचायत के वर्णित वार्डों में शीघ्र जलमीनार बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि उपर्युक्त वार्डों में WIMC वार्ड के तहत 8 मीटर स्टील स्टेजींग का निर्माण कर पाँच-पाँच हजार लीटर का पी०भी०सी० टैंक रखकर नियमित जलापूर्ति की जा रही है। उपर्युक्त वार्डों में आर०सी०सी० जलमीनार का प्रावधान नहीं है।

(3) लक्ष्मीपुर एवं नाथपुर पंचायत के वर्णित वार्डों की स्थिति निम्न प्रकार है--

पंचायत	वार्ड सं०	कुल घरों की संख्या	हर घर नलजल योजना से आच्छादित घरों की संख्या	अभ्युक्ति
लक्ष्मीपुर	8	139	128	शेष बचे 11 घरों में खुद की बोरिंग एवं मोटर लगा है। उपर्युक्त घरों में गृह संयोजन लेने से मना कर दिया गया था।
लक्ष्मीपुर	12	280	130	शेष बचे 150 घरों को छूटे हुये टोलों का प्राक्कलन तैयार की गयी है। योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
नाथपुर	4	321	211	शेष बचे 110 घरों को छूटे हुये टोलों का प्राक्कलन तैयार की गयी है। योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
नाथपुर	14	320	195	शेष बचे 125 घरों को छूटे हुये टोलों का प्राक्कलन तैयार की गयी है। योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

दखल-कब्जा दिलाना

*414. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के मैरवा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 3 में 40 महादलित परिवार जिला परिषद् की भूमि पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, जिसे प्रशासन द्वारा बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये ही झोपड़ी तोड़कर बेघर कर दिया गया है और इनमें नौ लोगों को भूमि का पर्चा भी दिया गया है, परंतु जिस भूमि का पर्चा दिया गया है, उस पर कब्जा नहीं दिलाया गया है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार बाकी बचे भूमिहीन महादलित परिवारों को भूमि का पर्चा देकर भूमि पर दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पी०सी०सी० का निर्माण

*415. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत नगर पंचायत कटोरिया में कटोरिया देवघर मुख्य पथ से तुरी टोला पेट्रोल पंप भाया मॉडल पब्लिक स्कूल होते हुये बोलबम कच्ची पथ तक एवं कटोरिया बलियामारा रोड में पंचायत भवन के बगल से मुस्लिम टोला में सलाहुद्दीन अंसारी के घर तक पी०सी०सी० सड़क का निर्माण नहीं होने से बरसात के दिनों में आमजनों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन कराना

*416. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले प्रखण्ड के जाले नगर परिषद् एवं कमतौल अहियारी नगर पंचायत तथा सिंहवाड़ा प्रखण्ड के सिंहवाड़ा एवं भरवाड़ा नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य सहयोगी स्टाफ का पदस्थापन नहीं होने से आमजनों के साथ-साथ निर्वाचित नये जन प्रतिनिधि को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपरोक्त सभी नगर निकाय में कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य सभी कर्मी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*417. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के परैया प्रखंड अन्तर्गत अजमतगंज पंचायत के परैया बाजार में पूर्व से जलमीनार निर्मित है, जिससे परैया बाजार एवं आस-पास के इलाकों में नल का जल योजना के तहत हर घरों में पानी पहुँचाने का लक्ष्य था, परन्तु विभागीय लापरवाही के कारण उक्त जलमीनार से पानी की सप्लाई अबतक नहीं की गयी है, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर लापरवाही बरतने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा लोगों को कबतक पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । गया जिला के परैया प्रखण्ड अन्तर्गत अजमतगंज पंचायत के परैया ग्रामीण जलापूर्ति योजना का सृजन वर्ष 2008-09 में किया गया था जिसमें सामान्यतया स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जलापूर्ति का प्रावधान था। पुनः इस योजना का रूपांतरण हर घर नल का जल योजना अन्तर्गत वर्ष 2018 में किया गया, जिसमें हर घर में गृह संयोजन दिये जाने का प्रावधान था, जिसे पूर्ण कर लिया गया, वर्तमान में यह योजना सीधी जलापूर्ति के माध्यम से अपने सभी अच्छादन क्षेत्र में पेयजल सुचारू रूप से आमजनों को मुहैया करा रही है। परन्तु कुछ छूटे हुये घरों में गृह संयोजन एवं अन्य जरूरी कार्य जैसे जलमीनार, पम्प हाउस आदि मरम्मती कार्य का प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार की गयी है। स्वीकृति के उपरांत शेष कार्य पूर्ण कर एवं जलमीनार मरम्मती कर जलमीनार से जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी। वर्तमान में योजना सीधी जलापूर्ति से निर्बाध रूप से चालू है और अपने आच्छादन क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

चापाकल लगाना

*418. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा के निविदा संख्या 17-23/22 के द्वारा वित्तीय वर्ष

2022-23 में 68 चयनित स्थलों को छोड़कर बिचौलिये एवं संवेदक के मिलीभगत से दूसरे स्थानों पर चापाकल लगा दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये 68 चयनित स्थानों पर ही चापाकल लगाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । एकरारनामा संख्या F2-17/22-23 के तहत कुल 75 अदद चापाकल अधिष्ठापित करने का लक्ष्य था। 70 अदद चापाकल अधिष्ठापित कर दिया गया है। शेष 05 अदद चापाकल का अधिष्ठापन प्रक्रियाधीन है।

दखल-कब्जा दिलाना

*419. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के अंचल-समस्तीपुर, थाना संख्या 195, ग्राम-लगुनियां रघुकंठ में सरकार द्वारा भूमि हथबंदी कानून के तहत खाता 355, 365, 463, 426, 30, 490, 450, 367, 410, 416, 427, 445, 455, 995, खेसरा-5805, 3806, 4063, 3553, 3812, 2987, 3015, 3816, 2131, 4009, 3989, 4007, 3012, 586, 3988, 3804, 2126, 2130, 5391, 3635, 3638, 5802, 3801, 5455, 3877, 5789, 5784, 3605 लगभग 28 एकड़ जमीन वर्ष 2001 में अधिग्रहण कर 75 भूमिहीन परिवारों को तत्कालीन विभागीय मंत्री द्वारा पर्चा वितरण किया गया था, परन्तु प्रशासन की लापरवाही के कारण पर्चाधारियों को जमीन पर अभीतक दखल-कब्जा नहीं दिलाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन पर 75 पर्चाधारियों को कबतक दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*420. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के हथियारा पंचायत के ग्राम रामपुर बधावा में हर घर नल का जल योजना से 200 घरों में से केवल 20 घरों को ही पानी मिल रहा है, तथा इस गाँव में सिर्फ दो चापाकल होने के कारण इस भीषण गर्मी में लाइन लगाकर गांव वालों को पानी लेना पड़ता है, जिसके कारण दिनांक 23 जून, 2023 को गाँव वालों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँव के सभी घरों में नल-जल योजना अन्तर्गत शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि तारांकित प्रश्न में माननीय सदस्य द्वारा वर्णित ग्राम-रामपुर बंधवा गोह प्रखंड के हथियारा पंचायत में अवस्थित नहीं है। बल्कि ग्राम रामपुर बंधवा हसपुरा प्रखंड के पंचायत डिडिर में अवस्थित है। ग्राम रामपुर बंधवा में नल जल योजना का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा कराया गया है। योजना वर्तमान में चालू है।

उक्त ग्राम में लगभग 125 घरों की बस्ती है जिसकी कुल आबादी लगभग 575 है। रामपुर ग्राम में विभागीय 03 अदद इंडिया मार्क चापाकल एवं 03 अदद साधारण चापाकल निर्मित है जो कि कार्यरत अवस्था में है।

कार्यान्वयन कराना

*421. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी पटना द्वारा परिवाद संख्या 999950127122109539/2A में

अंचल अधिकारी, सम्पतचक को एक सप्ताह के अंदर भूमिहीनों को भूमि दिलाने एवं अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु आदेश पारित किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पारित आदेश के आलोक में अबतक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पारित आदेश का कार्यान्वयन कबतक कराने का विचार रखती है ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*422. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर पूर्व से किसानों द्वारा प्रीमियम के आधार पर फसलों का बीमा कराया जाता था ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल बीमा बंद कर दिये जाने के कारण किसानों को जो क्रेडिट बैंक से मिलता है, उसपर फसल नष्ट होने पर भी ब्याज लगता जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व की भांति किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल बीमा की सुविधा पुनः उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 13 जुलाई, 2023 (ई०)।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि०स०मु० - 21(एल०ए०), 2023-24 डी०टी०पी० -550